मुख्यमंत्री भजनलाल ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए उठाये विशेष कदम

घग्गर नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन को पंजाब और हरियाणा सरकार से समन्वय बनाकर सतर्क रहने को कहा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रदेश में अतिवृष्टि सहित विभिन्न मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में 2 सितम्बर से तीन दिवसीय विशेष राहत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पीड़ितों को नियमानुसार सहायता राशि व जरूरी राहत दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भेजी जाए ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रदेश में अतिवृष्टि सहित विभिन्न मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि, फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भेजी जाए, ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक ''शहर चलो अभियान'' तथा 18 सितम्बर से ''गांव चलो अभियान'' की शुरुआत की जाकर समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सुशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है। घग्गर नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन को पंजाब और हरियाणा से समन्वय बनाकर सतर्क रहने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 21 जिलों में असामान्य और 16 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक ''शहर चलो अभियान'' चलाया जाएगा। इसमें सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, आवारा पशुओं की रोकथाम, सड़क मरम्मत और शहरी समस्याओं के निस्तारण जैसे कार्य होंगे। वहीं 18 सितम्बर से ''गांव चलो अभियान'' की शुरुआत होगी, जो प्रत्येक पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में सप्ताह में तीन दिन संचालित किया जाएगा। इसमें सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालयों की मरम्मत और बीज किट वितरण जैसे जनोपयोगी कार्य होंगे। इसके अतिरिक्त 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि अनुशासनहीन, लापरवाह और भ्रष्ट कार्मिकों की सूची बनाकर राज्य सरकार को भेजी जाए ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। वहीं, समर्पित और ईमानदार कर्मचारियों को सम्मानित करने की भी बात कही गई। त्यौंहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि मंदिरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही, आपराधिक घटनाओं पर त्वरित और सख्त कार्रवाई कर आमजन में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखा जाए।

उन्होंने कहा कि विद्यालय, आंगनबाड़ी और अस्पतालों के भवनों की मरम्मत और निर्माण के प्रस्ताव जल्द भेजे जाएं।

पीएम स्वनिधि, खाद्य सुरक्षा, लखपति दीदी और पीएम कुसुम जैसी योजनाओं में पात्र लोगों को तेजी से जोड़ने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जबकि जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

खराब मौसम ने रोकी अमित शाह के विमान की राह

- दिल्ली की बजाय जयपुर में हुई लैंडिंग, कुछ देर बाद वापस रवाना हुए
- बताया जा रहा है कि अमित शाह, जम्मू कश्मारी दौरे से वापस दिल्ली लौट रहे थे

जयपुर। सोमवार शाम को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का विमान खराब मौसम के चलते दिल्ली में लैंड नहीं कर पाया और उसे जयपुर डायवर्ट कर दिया गया। शाह जम्मू-कश्मीर दौरे के बाद दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन दिल्ली में अचानक मौसम बिगड़ने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनके स्पेशल एयरक्राफ्ट को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला लिया।

अमित शाह का विशेष विमान शाम 7 बजकर 54 मिनट पर जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ। जैसे ही विमान के डायवर्ट होने की सूचना मिली, जयपुर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव और डीजीपी खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और गृहमंत्री का स्वागत किया।

गौरतलब है कि गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई अहम सुरक्षा बैठकों में भाग लिया। दौरे के बाद वह बीएसएफ के स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली रवाना हुए थे। लेकिन दिल्ली में खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण विमान की लैंडिंग संभव नहीं हो पाई। इसके बाद एटीसी ने त्वरित निर्णय लेते हुए विमान को जयपुर डायवर्ट कर दिया। जयपुर में कुछ देर रुकने के बाद जैसे ही मौसम में सुधार हुआ, अमित शाह का विमान दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस घटना से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि मौसम की अनिश्चितता के चलते वीवीआईपी मूवमेंट पर भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को अच्छी तरह संभाला।

हेलिकॉप्टर से डीग जा रहे चार मंत्रियों को खराब मौसम के चलते वापस जयपुर लौटना पड़ा

- बताया जा रहा है कि सोमवार को मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए वे जयपुर से डीग जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया
- बताया जा रहा है कि मंत्री बेढम के साथ इस हेलीकॉप्टर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सहकारिता मंत्री गौतम दक और उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई भी सवार थे।

जयपुर। जयपुर से नगर (डीग) के लिए हेलिकॉप्टर से रवाना हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और तीन अन्य मंत्रियों को खराब मौसम के चलते वापस जयपुर लौटना पड़ा। सोमवार को मंत्री बेढम का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए वे जयपुर से डीग जाने वाले थे, लेकिन मौसम ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। मंत्री बेढम के साथ शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सहकारिता मंत्री गौतम दक और उद्योग एवं खेल राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई भी हेलिकॉप्टर में सवार थे। चारों मंत्री जयपुर के एवन हेलीपैड मलिकपुर से दोपहर करीब 1:30 बजे उड़ान भरकर डीग के लिए रवाना हुए। उड़ान के शुरुआती 40 मिनट तक मौसम सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही हेलिकॉप्टर अलवर के नजदीक पहुंचा, मौसम अचानक खराब हो गया।

पायलट ने घने बादलों और कम दृश्यता को देखते हुए आगे की उड़ान को असुरक्षित करार दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क कर हेलिकॉप्टर को वापस जयपुर ले जाने का निर्णय लिया। दोपहर 2:52 बजे हेलिकॉप्टर सुरक्षित रूप से एवन हेलीपैड पर लैंड कर गया। इसके बाद मंत्री बेढम, मंत्री गौतम दक और झाबर सिंह खर्रा सड़क मार्ग से डीग के लिए रवाना हुए। वहीं उद्योग एवं खेल राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दिल्ली के लिए प्रस्थान कर लिया। एवन हेलिकॉप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सोहन सिंह नाथावत ने बताया कि उड़ान से पहले मौसम पूरी तरह साफ था। अलवर तक किसी प्रकार की कोई मौसम संबंधी समस्या नहीं आई, लेकिन अलवर के आगे मौसम अचानक बिगड़ गया और घने बादलों के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई। नाथावत के अनुसार, पायलट ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समय रहते निर्णय लिया और यात्रियों को सुरक्षित रूप से वापस पहुंचाया। हेलिकॉप्टर में सवार सभी मंत्री सकुशल जयपुर लौट आए। इस बीच, डीग (नगर) में मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। हालांकि खराब मौसम के कारण मंत्री बेढम निर्धारित समय पर कार्यक्रम स्थल नहीं पहुंच सके, लेकिन वे बाद में सड़क मार्ग से डीग पहुंचकर जनसभा में शामिल हुए। मौसम की यह अनहोनी घटना भले ही यात्रा में बाधा बनी, लेकिन मंत्री बेढम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया।

'लापरवाही से जयपुर की सड़कों पर मौत का तांडव'

- नगर निगम और बिजली विभाग जिम्मेदार : गिरिराज खंडेलवाल

जयपुर। शहर की लापरवाह व्यवस्था ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। अजमेर रोड पर गड्ढे में बाइक फिसलने के बाद जब युवक ने खुद को संभालने के लिए सड़क किनारे लगे पोल को पकड़ा, तो उसमें करंट दौड़ रहा था और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अजय, परिवार का इकलौता सहारा था जिसकी शादी नवंबर में होनी थी। अब घर मातम में डूबा है।

इस दर्दनाक घटना पर नगर निगम जयपुर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे गिरिराज खंडेलवाल ने नगर निगम और बिजली विभाग को सीधा जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि प्रशासन की घोर लापरवाही से हुआ कत्ल है। बार-बार शिकायतों के बावजूद गड्ढों को नहीं भरा गया। बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते खुले पड़े तारों से पोल में दौड़ रहे करंट से एक युवा की जान चली गई। उन्होंने कहा कि राजधानी के अनेक क्षेत्रों में खुले पड़े हैं तार व सड़को पर गड्ढे निगम और बिजली विभाग मौत बांट रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। खंडेलवाल ने निगम प्रशासन व बिजली विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा की आखिर नगर निगम और बिजली विभाग किसकी शह पर इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं? गिरिराज खंडेलवाल ने सरकार की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि, आखिर कब तक जयपुर की सड़कोंपर मासूम जानें इस नाकारा सिस्टम के कारण कुर्बान होंगी, जयपुर की सड़कों पर हर कदम पर मौत खड़ी है ।

उन्होंने मांग की है कि मृतक परिवार को कम से कम 50 लाख रुपये का मुआवजा तुरंत दिया जाए। साथ ही नगर निगम और बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ दंडनात्मक कार्यवाही हो व मुख्यमंत्री स्वयं मामले की जवाबदेही तय करें और पूरे शहर में करंट युक्त पोल व खतरनाक गड्ढों को तुरंत दुरुस्त करने की कार्यवाही करें। खंडेलवाल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार अब भी नहीं चेती, तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बजरी खनन पर जवाब मांगा

जयपुर । सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में चल रहे अवैध बजरी खनन व परिवहन के मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश सोमवार को ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के साथ ही बजरी लीज होल्डर की पेंडिंग चल रही एसएलपी को भी सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बजरी का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। इसके चलते वैध बजरी ट्रक ऑपरेटर्स का व्यवसाय भी खत्म हो रहा है। वहीं अवैध खनन के चलते आमजन को ऊंची कीमत पर बजरी की खरीद करनी पड़ रही है। इसके अलावा अवैध बजरी खनन से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। अवैध बजरी खनन में बजरी माफियाओं को स्थानीय राजनीतिक लोगों व पुलिस अफसरों का भी संरक्षण मिला हुआ है और इसके चलते ही वे बेखौफ होकर वे बजरी का अवैध कारोबार कर रहे हैं। अवैध वाहनों में ओवरलोड बजरी का परिवहन किया जा रहा है। इतना ही नहीं वे अवैध बजरी खनन को रोक ने वाले लोगों के खिलाफ भी आपराधिक गतिविधियां भी कर रहे हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

- वारदात के लिए जगह मुहैया कराने वाले युवक को भी जेल

जयपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 19 वर्षीय अभियुक्त कुलदीप मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अपराध के लिए कमरा मुहैया कराने वाले 20 वर्षीय अभियुक्त राजदेव मीणा को दस साल की सजा दी है।

अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अभियुक्त ने नाबालिग को न केवल शारीरिक और भावनात्मक क्षित पहुंचाई, बल्कि उसकी गरिमा को आहत करने वाला ऐसा अपराध किया है, जिसकी कटु स्मृति उसे जीवनभर रहेगी। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से एसएस राजावत ने अदालत को बताया कि पीडिता की मां ने 31 अगस्त, 2024 को प्रताप नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी निजी कॉलेज में पढती है। अपनी पढाई के लिए किराए पर कमरा लेकर रहती है। अभियुक्त कुलदीप मीणा उसके कुछ दिनों पहले बहला-फुसलाकर प्रतापनगर के एक फ्लैट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया। इसके साथ ही वह उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं साक्ष्य के आधार पर अदालत ने राजदेव मीणा को अलग से तलब किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि वह अप्रैल, 2024 से कुलदीप से सोशल मीडिया पर बात करती थी।

इसके बाद वह पढाई के लिए जयपुर आ गई। वहीं कुलदीप ने उसके वीडियो चैट के कुछ स्क्रीनशॉट और बाद में मिलकर साधारण फोटो लेकर उसे परिजनों को नहीं दिखाने की एवज में एकांत में मिलने बुलाया। इस पर वह उससे मिलने चली गई। इस दौरान अभियुक्त उसे एक बिल्डिंग में ले गया। जहां राज मीणा ने बिल्डिंग में एंटी कराई और उन दोनों को एक खाली फ्लैट में छोड़कर चला गया। यहां कुलदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। घटना के बाद उसने अभियुक्त का फोन उठाना बंद कर दिया तो वह उसके कमरे पर आकर धमकाने लगा। इस पर उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी।

संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति से बचने का आग्रह

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सर्वदलीय बैठक में उपस्थित होकर अपने सुझाव एवं प्रस्ताव रखने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य पक्ष-विपक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर व्यापक विचार-विमर्श कर उन्हें सदन की कार्यवाही में शामिल करना होता है।

देवनानी ने कहा कि दुर्भाग्यवश नेता प्रतिपक्ष बैठक में शामिल नहीं हुए और इसके विपरीत सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान व्यवधान उत्पन्न कर उसे बाधित करने का प्रयास किया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतिकूल बताया और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से सदन की गरिमा प्रभावित होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में झालावाड़ विद्यालय में घटित दुखद घटना सहित राज्य के अन्य विद्यालयों में हुई ऐसी घटनाओं को अत्यंत गंभीर और संवेदनशील बताते हुए कहा कि इन सभी मामलों के प्रस्ताव शिक्षा विभाग से मंगवाए गए हैं। इन प्रस्तावों पर उचित समय पर सदन में विस्तृत चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार और सभी जनप्रतिनिधि शोकसंतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपील की कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति न कर विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

लोकतंत्र में वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं : सचिन पायलट

कांग्रेस एस.सी. विभाग की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ममता भूपेश के पदभार ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ए.आई.सी.सी. महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों से वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़ा है, आदिवासी हैं, उन लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। संविधान को बदलने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। वोट चोरी गरीब, आदिवासी और किसान की हो रही है, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, उसकी हो रही है। सचिन पायलट ने यह बात सोमवार को राजस्थान कांग्रेस एस.सी. विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश के पदभार ग्रहण समारोह में कही।

सचिन पायलट ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के तहत काम कर रहे हैं और जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, उसे किसी भी कीमत पर छिनने नहीं देंगे। पायलट ने कहा कि जो लोग आज 11 साल से सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता उसका जवाब देते है।

सचिन पायलट ने कहा कि ममता भूपेश को एस.सी. विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है, वो लंबे समय तक पार्टी में काम कर चुकी है। पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और एससी समाज को कांग्रेस से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगी।

ए.आई.सी.सी. महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को राजस्थान कांग्रेस एस.सी. विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे।

- ए.आई.सी.सी. महासचिव पायलट ने कहा कि, ''राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। वोट चोरी गरीब, आदिवासी और किसान की हो रही है, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, उसकी हो रही है।''
- सचिन पायलट ने कहा कि ''ममता भूपेश को एस.सी. विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है, वो लंबे समय तक पार्टी में काम कर चुकी है। पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और एससी समाज को कांग्रेस से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगी।

सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी उनसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना चाह रहे है, इसको जानता बर्दाश्त नहीं करेगी। साल 2028 में राजस्थान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा कोई छोटा नहीं है, देश में वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पूरे देश में उठाया है और अब जनता भी जानने लग गई है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है।

जूली ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान देकर एससी-एसटी के अधिकारों को सुरक्षित किया है, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को ही खत्म करने का प्रयास कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एससी वर्ग के उत्थान के लिए कांग्रेस ने खूब काम किए है। यही वजह है कि यह समाज हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। ममता भूपेश को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वो ब्लॉक और जिले लेवल पर भी दौरे करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में एससी समाज को कांग्रेस से जोड़े।

कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों का खर्चा बहुत ज्यादा है। दलित वंचित, आदिवासी वर्ग के लोग प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते हैं। राजस्थान सही देश के तमाम राज्यों में सरकारी स्कूल लगातार बंद किया जा रहे है। छठवां-पे कमीशन लाकर सरकार पहले ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती को ठेके में दे चुकी है। यहां तक कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती भी ठेके पर की जा रही है।

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि वोट चोरी आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए थे। अगर उसको मुद्दा नहीं बनाया जाता और लोगों को जागरूक नहीं किया जाता। कोर्ट में पिटीशन नहीं डाली जाती तो वो वोटर वापस नहीं जुड़ पाते, जिनके नाम काटे गए थे। बाद में उसमें आधार कार्ड भी शामिल किया गया, राशन कार्ड भी शामिल किया गया और जिन लोगों के वोट काटे गए थे, उनके वोट जुड़वाने में हम कामयाब हुए है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि एक-एक पत्ते पर 600-700 के लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, वहां जाकर देख रहे हैं तो वो बिल्डिंग बरसों से बंद पड़ी है, उसमें ताला लगा हुआ है। फिर कैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकता है, लेकिन भाजपा इसका बचाव कर रही है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि ईवीएम को भी चुनाव से हटाना चाहिए. इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ईवीएम को हैक करके बताओ। जब आप मशीन को छूने ही नहीं दोगे तो इंजीनियर कैसे चेक करेगा कि उसमें क्या लगा हुआ है, क्या प्रोग्रामिंग की गई है। कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर उसमें टाइमर क्यों लगाया गया है।

अफसरों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनूं जिले में जमीनों की खरीद-बेचान के दौरान रजिस्ट्री शुल्क में हेरफेर करने के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह मामले में अफसरों पर की गई विभागीय कार्रवाई का परिणाम अदालत में पेश करे।

इसके साथ ही अदालत ने पूछा है कि क्या मामले में एसीबी में भी मामला दर्ज कराया गया है। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया कि साल 2018 से 2020 के बीच झुंझुनूं जिले में जमीनों की रजिस्ट्रियां हुई थी। इनमें से कई व्यावसायिक जमीनों को मिलीभगत कर आवासीय बताया गया और करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया।

इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से सक्षम स्तर पर शिकायतें दी गई। वहीं विभाग की जांच में करोडों रुपए के राजस्व की हानि को प्रमाणित पाया और अधिकारियों को दोषी माना, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी इन अफसरों पर कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक की उनका तबादला तक नहीं किया गया। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने चार्जशीट जारी कर दी है। इस पर अदालत ने चार्जशीट के परिणाम की जानकारी अदालत में पेश करने के आदेश देते हुए पूछा है कि क्या मामले में एसीबी में भी मामला दर्ज कराया गया है।